प्रकरण संख्या 10/2020 जगदीश बनाम श्रीमती ऋतु

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण गांव सागवाड़ा के निवासी होकर एक ही परिवार के सदस्य हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पति पत्नी होकर अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से एक भूखण्ड संख्या ए–6–7 मंगलम विहार सागवाड़ा में करीब 1525 स्क्वायर फिट का बिल्डर अनिल सुधार से क्रय किया। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि मौजा सागवाड़ा में स्थित में पास–पास स्थित है। प्रार्थी संख्या 1 से 4 के खातेदारी एवं स्वामित्व की ग्राम सागवाडा में खाता संख्या 1206/1145 कुल खसरे 6 रकबा 0.3720 हैक्टर भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने पूर्वजों के समय से काबिज हैं। प्रार्थी संख्या 5 व 6 के खातेदारी व स्वामित्व की खाता संख्या 498/450 कुल खसरे 6 रकबा 0.3476 हैक्टर भूमि ग्राम सागवाड़ा में स्थित है, जिस पर प्रार्थी संख्या 5 व 6 काबिज हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खाते की आराजी नंबर 5994/1, 5996/1 व 5994 के दक्षिण में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने अतिक्रमण कर निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया है एवं उक्त भूमि को अपनी क्रय शुदा भूमि बता रहे हैं तथा विरोध करने पर राजनैतिक प्रभाव का उपयोग करते हुए पुलिस जाब्ते के सहयोग से जबरन निर्माण करवा रहे हैं। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण के खाते की आराजी नंबर 5994/1, 5996/1 व 5994 में निर्माण कार्य न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें तथा जो निर्माण करवा लिया है उसे अपने खर्चे से हटावें। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.07.2020 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 17.08.2020 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री नगीन पटेल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वक्त बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि राजस्व टीम ने रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण से सांठगांठ से पर्चा मौका बनाया है, अपीलान्ट के खातें की नपती नहीं की, केवल रेस्पोन्डेन्ट की आराजी नंबर 5995 की नपती की, जिसका	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:00:27 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट द्वारा विरोध किया गया, किन्तु राजस्व टीम ने उसकी एक भी नहीं सुनी। अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नपती रिपोर्ट तलब करने हेतु निवेदन किया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर गौर नहीं किया एवं कमिश्नर नियुक्ति का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन अपीलान्ट के पक्ष में होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के खाते की आराजी नंबर 5994/1, 5996/1 एवं 5994 पर अतिक्रमण नहीं करने हेतु रेस्पोन्डेन्टगण को पाबन्द किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। पर्चा मौका दिनांक 30.06.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट मौका रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे एवं इसी कारण उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.06.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि मौके पर पक्षकारों के मध्य विवाद बढ़ता जा रहा है। अतः मौके की पुनः रिपोर्ट मंगवाई जावे, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाये जाने से पक्षकारों के मध्य विवाद बढ़ने की संभावना है। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण में अपीलान्ट को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.07.2020 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मंगवाकर तत्पश्चात् अपीलान्ट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर देकर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.12.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:00:27 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर